न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी
A.B.P. No.- 437/2026
उषा देवी एवं अन्य बनाम बिहार सरकार
[दरौंदा थाना कांड संख्या 569/2025]
आदेश

06.06.2026 आवेदकगण/अभियुक्तगण **1. उषा देवी, 2. विवेक कुमार राम, 3. पोकल राम एवं 4. रीता देवी** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सं0 437/2026, दरौंदा थाना कांड संख्या 569/2025, अंतर्गत धारा– 126(2), 115(2), 118(1), 118(2), 117(2), 109/3(5) भारतीय न्याय संहिता पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री रविन्द्र सिंह एवं विपक्षी विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह को सुना।

संक्षेप में अभियोजन का कथन यह है कि दिनांक 25.11.2025 को समय करीब 1 बजे दिन में सूचक काम करके घर आए और खाना खा रहे थे। तभी सूचक के ही भवे उषा देवी दो बार आई और गई और बिना वजह सूचक को भड़ुआ कहते हुए गाली देने लगी और सूचक के ऊपर थप्पड़ चलाने लगी तो सूचक बोले कि गाली क्यों दे रही है और थप्पड़ क्यों मारी। इसी बात पर वह अपने बेटा विवेक कुमार राम, पोकल राम एवं रीता देवी सभी अपने–अपने हाथ में लिए टांगी, चाकू, लाठी लेकर आए ओर सूचक के साथ मारपीट करने लगे और जान मारने की नियत से विवेक राम टांगी सूचक के सर पर चलाया तो सूचक बचने की कोशिश किए। टांगी सूचक के दाहिना कान पर लग गया और सूचक का कान कटकर फेंका गया और सर भी फट गया एवं सूचक जख्मी होकर जमीन पर वहीं गिर गए। हल्ला पर सूचक की बेटी सविता देवी, नैना कुमारी, बेटा अमरजीत कुमार उन्हे बचाने आए तो सविता देवी को पिकल राम चाकू से दाहिना हाथ की तरहती काट दिया और पीठ में चाकू से गोद दिए और विवेक कुमार राम सूचक के बेटा को भी टांगी से मारकर सर फाड़ दिए और सूचक की बेटी नैना कुमारी को उषा देवी लाठी से मारकर जख्मी कर दिए एवं उक्त सभी धमकी दे रहे हैं कि तुम लोगों को बर्बाद कर देंगे।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आवेदकगण की ओर से कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन कभी भी विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवान या माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण का अतीत साफ है और उसके खिलाफ अन्य कोई मामला पंजीकृत नहीं है। आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है और उन्हें झूठे तरीके से गांव की राजनीति के कारण इस मामले में फंसाया गया है। आवेदकगण के खिलाफ लगाया गया आरोप पूरी तरह से झूठा और आधारहीन है। उभय पक्षों के बीच भूमि संबंधी विवाद है एवं उभय पक्षों के बीच सुलह हो गया है जिसकी प्रति जमानत आवेदन पर उपलब्ध है। आवेदकगण मामले की जांच और सुनवाई में अपना पूर्ण सहयोग देने का वचन देते हैं। अतः उनके द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अपने तर्क में यह कहा गया है कि आवेदकगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अग्रिम जमानत

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी
A.B.P. No.- 437/2026
उषा देवी एवं अन्य बनाम बिहार सरकार
[दरौंदा थाना कांड संख्या 569/2025]

06.06.2026

लगातार आवेदन को खारिज किया जाय।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी दरौंदा थाना कांड संख्या 569/2025, अंतर्गत धारा– 126(2), 115(2), 118(1), 118(2), 117(2), 109/3(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आवेदकगण के विरूद्ध पंजीकृत कराई गई है। आवेदकगण के विरूद्ध अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक एवं उसके परिवार के सदस्य के साथ टांगी, चाकू एवं लाठी से मारपीट कर जख्म कारित करने का आरोप लगाया गया है। कांड दैनिकी के अनुसार चिकित्सक ने राम दरेश राम एवं अमरजीत कुमार के अंतिम जख्म के निर्णय को सुरक्षित रखा एवं अन्य सभी जख्मियों के जख्म को साधारण प्रकृति का पाया है। कांड दैनिकी की कंडिका संख्या 24 के अनुसार आवेदकगण के खिलाफ इस मामला के अलावा अन्य कोई मामला पंजीकृत नहीं है। उभय पक्षों के बीच सुलह हो गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं कारित जख्म की प्रकृति एवं उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उनकी ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत होने योग्य है।

अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण **1. उषा देवी, 2. विवेक कुमार राम, 3. पोकल राम एवं 4. रीता देवी** को 30 दिनों के अंदर गिरफ्तार होने अथवा विद्वान विचारण न्यायालय में आत्म समर्पण करने के पश्चात् इनके द्वारा मो0 10,000/– रूपये की राशि के दो समान प्रतिभूवाले बंधपत्र दाखिल करने पर विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि के पश्चात् धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 के शर्तो के अलावे एक जमानतदार आवेदकगण का निकट संबंधी होने की शर्त के अनुपालन के निर्देश के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित
ह0/–
(उमेश मणि त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
सिवान।
दिनांक 06.06.2026

Date of Order/Judgment	06.06.2026
Date of Reserving Order/Judgment	06.06.2026
Uploading Date	10.06.2026
Uploaded By	RAVI KANT